

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-3/2009/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर, 2009

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय - राज्य शासन के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की स्वीकृति ।

-- 111 --

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 4-2/2009/नियम/चार, दिनांक 23 जुलाई, 2009 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को दिनांक 1-7-2009 से मूल वेतन + ग्रेड पे का 16% की दर से मंहगाई भत्ता देय है ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ता, मूल वेतन एवं ग्रेड पे पर निम्नानुसार दर से स्वीकृत किया जाए :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1-11-2009 (माह नवम्बर, 2009 का वेतन जो दिसम्बर 2009 में देय होगा)	मूल वेतन + ग्रेड पे का 19%
दिनांक 1-1-2010 (माह जनवरी, 2010 का वेतन जो फरवरी 2010 में देय होगा)	मूल वेतन + ग्रेड पे का 22%

3/ मंहगाई भत्ते के नियमन हेतु अन्य प्रावधान वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार दिनांक 20 सितम्बर 2006 तथा वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4-2/2009/नियम/चार दिनांक 16 सितम्बर 2009 के अनुसार लागू होंगे ।

4/ इन आदेशों के तहत देय मंहगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त का भुगतान राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को नगद किया जाएगा ।

5/ यह आदेश कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले सेवा के सदस्यों पर भी लागू होंगे । यू.जी.सी. एवं ए.आई.सी.टी.ई., वेतनमानों में वेतन आहरित करने वाले कर्मचारियों को भी उक्त मंहगाई भत्ता वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 4-2/2009/नियम /चार, दिनांक 16 सितम्बर 2009 के अनुसार देय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(जी.पी. सिंघल)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव / निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल /जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता / उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल / इंदौर/ ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल / माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव / सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
16. नियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की और राजपत्र में प्रकाशन के लिए,
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-84, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(डी.के. सक्सैना)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-6/2009/नियम/चार

भोपाल, दिनांक २५ अक्टूबर, 2009

प्रति,

प्रमुख सचिव

प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन,

मध्यप्रदेश शासन,

स्कूल शिक्षा विभाग

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय भोपाल

मंत्रालय भोपाल

विषय - पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को मंहगाई भत्ते की स्वीकृति ।

--।।।--

पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव को वर्तमान में 82% मंहगाई भत्ता (35% अतिरिक्त वृद्धि को जोड़कर) दिया जा रहा है ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया है कि पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव को मूल वेतन पर निम्नानुसार दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृति किया जाये :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1-7-2009 (माह जुलाई, 2009 का वेतन जो अगस्त 2009 में देय होगा)	मूल वेतन का 4% (पूर्व के मंहगाई भत्ते तथा 35% अतिरिक्त वृद्धि को जोड़कर 86%)

3/ मंहगाई भत्ते का भुगतान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(जी.पी. सिंघल)

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक : एफ 4-6/2009/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर, 2009

- 1 महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
- 2 आयुक्त स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 3 आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल
- 4 आयुक्त, नगरीय प्रशासन , मध्यप्रदेश भोपाल
- 5 आयुक्त,कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
- 6 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
- 7 संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
- 8 सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(डी.के. सक्सैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 4-3/2009/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर, 2009

प्रति,

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय भोपाल

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय भोपाल

विषय - पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को मंहगाई भत्ते की स्वीकृति ।

--111--


पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव को वर्तमान में 86% मंहगाई भत्ता (35% एक मुश्त अतिरिक्त वृद्धि जोड़कर) दिया जा रहा है ।

2/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया है कि पंचायती राज्य संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों में नियोजित अध्यापक संवर्ग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिव को मूल वेतन पर निम्नानुसार दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृति किया जाये :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई भत्ते की दर प्रतिमाह
दिनांक 1-11-2009 (माह नवम्बर, 2009 का वेतन जो दिसम्बर 2009 में देय होगा)	मूल वेतन का 3% (पूर्व की 35% अतिरिक्त वृद्धि तथा मंहगाई भत्ते को जोड़कर 89%)
दिनांक 01-01-2010 (माह जनवरी, 2010 का वेतन जो फरवरी 2010 में देय होगा)	मूल वेतन का 3% (पूर्व की 35% अतिरिक्त वृद्धि तथा मंहगाई भत्ते को जोड़कर 92%)

3/ मंहगाई भत्ते का भुगतान अध्यापक संवर्ग एवं पंचायत सचिवों को उन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा जहां वे कार्यरत हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(जी.पी. सिंघल)


प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

क्रमांक : एफ 4-3/2009/नियम/चार

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर, 2009

- 1 महालेखाकार (लेखा और हकदारी / आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर / भोपाल ।
- 2 आयुक्त स्कूल शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल ।
- 3 आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास भोपाल
- 4 आयुक्त, नगरीय प्रशासन, मध्यप्रदेश भोपाल
- 5 आयुक्त,कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश भोपाल
- 6 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
- 7 संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
- 8 सभी कोषालय अधिकारी / उप कोषालय अधिकारी
- 9 गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।


(डी.के. सक्सैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग